

सांसद स्थानीय विकास योजना
Members of Parliament Local Area Development Scheme



सत्यमेव जयते



एक कदम स्वच्छता की ओर

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
ईस्ट ब्लॉक 6, लेवल 6, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066
GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Statistics & Programme Implementation
East Block 6, Level 6
R.K. Puram, New Delhi-110066
Phone : 011-26104106, E-mail : mplads@nic.in

फा सं.सी-42/विविध/2013-एमपीलैड्स

Dated 03.01.2018

सेवा में,

- (1) आयुक्त
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
- (2) सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषय: सभी कार्यान्वयन एजेंसियां व्यय संबंधी कार्य तत्काल प्रभाव से पीएफएमएस ईएटी मॉड्यूल का प्रयोग करते हुए क्रियान्वित करेंगी।

महोदय/महोदया,

दिनांक 14.11.2017 के व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों में पैरा 4.18 के तहत पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान से संबंधित प्रावधान को शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

पैरा 4.18: सभी जिला प्राधिकारी तथा कार्यान्वयन एजेंसियां एमपीलैड योजना के अंतर्गत व्यय संबंधी कार्य तत्काल प्रभाव से पीएफएमएस ईएटी मॉड्यूल का प्रयोग करते हुए क्रियान्वित करेंगी।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय,

(डी. साईबाबा)

निदेशक (एमपीलैड्स)
ई-मेल: mplads@nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. सचिव, एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभाग (सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।